

५२९
५.६.१०

प्रेषक,

सेवा में,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

निबन्धक,
सहकारी समितियाँ, उ०प्र०,
लखनऊ ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण

लखनऊ: दिनांक: ॥ जून, 2010

विषय:-

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना)-प्रारम्भिक सहकारी ऋण समितियों की अंशपूँजी में धन लगाने हेतु ऋण (जिला योजना) हेतु वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-193/अधि७/1-९/2010-11 दिनांक 15.04.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रूपये-35,72,500-00 (रूपये पैंतीस लाख बहत्तर हजार पाँच सौ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं ।

2— उपरोक्त ऋण की धनराशि संबंधित जिलों को प्रमुख सचिव, राज्य योजना आयोग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-913 /35-आ-2/ 2009-46, दिनांक 13 जनवरी, 2010 में जारी किये गये निर्देशों/जनपदों की वर्ष 2010-11 की जिला योजनाओं के लिये आबंटित अन्तिम परिव्यय को दृष्टिगत रखते हुए अवमुक्त की जाय ।

3— उपरोक्त स्वीकृत ऋण के उपयोग आदि के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०३०-२३५३/२६- ब०प्र०- २०६- ५००(८९)/२००३, दिनांक 17.4.2006 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

4— विभाग का यह दायित्व होगा कि उक्त धनराशि के व्यय हेतु एस०सी०पी०/टी०एस०पी० हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक/दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

5— शासनादेश दिनांक 09 अप्रैल, 2007 तथा दिनांक 08 मई, 2007 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर सम्पूर्ण विवरण/सूचनायें परीक्षण/सत्यापन हेतु समाज कल्याण विभाग को उपलब्ध करायी जाय ।

6— उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-“6425-सहकारिता के लिए कर्ज-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-03-प्रारम्भिक सहकारी उधार समितियों की अंशपूँजी में धन लगाने हेतु ऋण(जिला योजना)-30-निवेश/ऋण” के नामे डाला जायेगा ।

(2)

7— ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या—ई-३—। ०७९८७ दस—
2010 दिनांक ०६/२०१० में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

21-८-१२


(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या—५०८८
(1) / 26-ब०प्र०-2010-तददिनांक—

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पेषितः—
- 1— महालेखाकार, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 2— मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
 - 3— प्रमुख सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 4— मुख्य लेखापरीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 - 5— प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी बैंक लि०, लखनऊ।
 - 6— वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-४/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-३
 - 7— कम्प्यूटर/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।


५/६/०